



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072024-255822
CG-DL-E-28072024-255822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2864]

नई दिल्ली शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2864]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 3005(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन/ हनुमाकोंडा जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 (हन्मकोंडा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आरडीओ हनुमाकोंडा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन/ हनुमाकोंडा जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 (हनुमाकोंडा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: वारंगल अर्बन/ हनुमाकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हसनपार्थी					
गांव का नाम: अनंथासागर					
1	434	निजी	ड्राय	708 (वर्ग मीटर)	0.0708
गांव का नाम: हसनपरती					
2	45	निजी	ड्राय	1517.63 (वर्ग मीटर)	0.151763
3	63	निजी	ड्राय	3642.3 (वर्ग मीटर)	0.36423
4	64	निजी	ड्राय	303.53 (वर्ग मीटर)	0.030353
गांव का नाम: पेम्बारथ्य					
5	450	निजी	ड्राय	1011.75 (वर्ग मीटर)	0.101175
तालुक का नाम: एल्कातुर्थी					
गांव का नाम: सुरारम					
6	558	निजी	ड्राय	1113 (वर्ग मीटर)	0.1113
7	564	निजी	ड्राय	1113 (वर्ग मीटर)	0.1113
गांव का नाम: वल्लभापूर					
8	57	निजी	ड्राय	203 (वर्ग मीटर)	0.0203
9	68	निजी	ड्राय	1012 (वर्ग मीटर)	0.1012
गांव का नाम: कोतुलानडुमा					
10	166	निजी	ड्राय	405 (वर्ग मीटर)	0.0405
कुल योग					1.102921

[फा. सं. NHAI/PIU-WGL/2018/3A]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 3005(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH563 in the stretch of land from Km. 95.3 to Km. 116.667 (Hanamkonda) in the district of WARANGAL URBAN/ HANUMAKONDA in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, RDO Hanamkonda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH563 in the stretch of land from Km. 95.3 to Km. 116.667 (Hanamkonda) in the district of WARANGAL URBAN/ HANUMAKONDA in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: WARANGAL URBAN/ HANUMAKONDA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hasanparthy					
Village: Ananthasagar					
1	434	Private	Dry	708 (Square Meter)	0.0708
Village: Hasanparthy					
2	45	Private	Dry	1517.63 (Square Meter)	0.151763
3	63	Private	Dry	3642.3 (Square Meter)	0.36423
4	64	Private	Dry	303.53 (Square Meter)	0.030353
Village: Pembarthi					
5	450	Private	Dry	1011.75 (Square Meter)	0.101175
Taluk: Elkathurthi					
Village: Suraram					
6	558	Private	dry	1113 (Square Meter)	0.1113
7	564	Private	Dry	1113 (Square Meter)	0.1113

Village: Vallabhapur					
8	57	Private	Dry	203 (Square Meter)	0.0203
9	68	Private	Dry	1012 (Square Meter)	0.1012
Village: Kothulnaduma					
10	166	Private	Dry	405 (Square Meter)	0.0405
Total					1.102921

[F. No. NHAI/PIU-WGL/2018/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.